**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट)** : (क) मध्य प्रदेश विशेष सशस्त्र बल की बटालियनों को भिन्न-भिन्न संख्या में समय-समय पर असम, केरल, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, त्रिपुरा राज्यों और संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ आदि में तैनात किया गया है, ऐसा इन राज्यों की आवश्यकता और इनमें व्याप्त आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए किया गया।

(ख) जी हां, श्रीमान। केवल छूट प्राप्त राज्यों में तैनाती के अलावा, जिनमें तैनाती की लागत भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है।

(ग) से (ङ) चूंकि बकाया देय राशि के आंकड़े घटते बढ़ते रहते हैं इसलिये कोई समय सीमा निर्धारित करना कठिन है। केन्द्र सरकार ने वर्ष 1993–94 के दौरान 17.81 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान, छूट प्राप्त राज्यों की ओर से किया है। गैर-छूट प्राप्त राज्यों की ओर से किया है। गैर-छूट प्राप्त राज्यों के मामले में 24.13 करोड़ रु० की राशी की कटौती उनकी योजनागत सहायता में से, किश्तों में करने का निर्णय लिया गया था। इसमें से 17.559 करोड़ रू० की राशि की कटौती पहले ही कर ली गई है और यह राशि 1992–93 और 1993–94 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को दे दी गई है।

**अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित विधेयक**

**4696. श्री जगन्नाथ सिंह:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य सरकार ने अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के सुदृढ़ीकरण तथा अनुसूचित जनजातियों के संरक्षणात्मक उपायों के लिये एक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो "मध्य प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र विनियम" पर राष्ट्रपति की स्वीकृति कब तक प्राप्त होगी?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद)**: (क) और (ख) "मध्य भारत अनुसूचित क्षेत्र (भूमि बांट तथा हस्तान्तरण) विनियम, 1954" के निरसन के लिये मध्य प्रदेश की सरकार ने "मध्य भारत अनुसूचित क्षेत्र (भूमि बांट तथा हस्तान्तरण) निरसन विनियम, 1984" को राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति के लिये भेजा था। इस निरसन विनियम द्वारा 1954 के जिस मौजूदा विनियम को निरसित किया जाना है, वह जनजातियों की रक्षा, भूमि के अन्य संक्रामण से करता है। राज्य सरकार का ध्यान इन रिपोर्टों की ओर दिलाया गया कि कई मामलों में जनजाति भूमि को गैर जनजातियों के पक्ष में अन्य संक्रमित किया गया। चूंकि यह समझा गया था कि इस विनियम के निरसन के परिणामस्वरूप अन्य संक्रामणों का विनियमन ही होगा, अतः राज्य सरकार से इस मामले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को अपने अन्तिम निर्णय से अवगत नहीं कराया है।

**दिल्ली, महाराष्ट्र तथा गुजरात में बलात्कार / दहेज सम्बन्धी मौतें**

**4697. श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन :**
**श्री ओ० पी० कोहली :**
**श्री वीरेन्द्र कटारिया :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात में वर्ष 1990, 1991, 1992 तथा 1993 के दौरान और वर्तमान वर्ष में अब तक बलात्कार/दहेज सम्बन्धी मौतों तथा पत्नियों